पुलिसिया व्यवहार : कारण तथा सुधार के सुझाव

गिरधारी सिंह

सायंकाल में एक व्यक्ति थाने पहुंचता है तथा गेट पर उपस्थित संतरी से यह निवेदन करता है कि बापजी मारो छोरी ने दिनरा पांच आदमी उठार ले गया है। आप मारी मदद करो। बापजी मारी छोरी ने लावण री व्यवस्था करो। संतरी उस व्यक्ति को साब के आने तक वहां एक तरफ बैठने को कहता है तथा अपनी जेब से बीड़ी निकाल कर मुंह में दबाता है तथा माचिस की तीली जलाकर कस खींचना शुरू करता है। थोड़ी देर में एक जीप आकर थाने के अहाते में रूकती है। दारोगा साहब अपने रोब से जीप से उतरते हैं। शायद सभी हाईवे के छाबो कर राउण्ड करके आये हैं इसीलिए थोड़ा सम्भलकर चलने का प्रयास कर रहे हैं।

दारोगाजी थाने के चौक में कुर्सी पर बैठते हैं तभी फरियाद लेकर वह व्यक्ति उनके पास पहुंचता है तथा दारोगा साहब के पांव जकड़कर रोने लगाता है, थाने का संतरी भी पास पहुंचता है तथा दारोगा साहब को उस

व्यक्ति के बारे में बताते हुए कुछ फुसफुसाता है। दारोगाजी अपने पांव से उस व्यक्ति को धक्का देते हैं और (एक गाली) अरे ....रायेगा ही या कुछ बोलेगा भी। फरियादी आंसू पौंछते हुए हकलाते हुए बताता है कि वह और उसकी पत्नी तो सवेरे ही खेत में मक्की काटने चले गये थे। छोटा बेटा स्कूल चला गया तथा बेटी को भी खेत में आना था परन्तु वे नहीं आई। सायंकाल में घर पहुंचने पर पता चला कि दिन में घर पर कपड़े धो रही थी उसी समय पांच सात लोग उसे उठा ले गये। बापजी मारे माले किरपा करो, मारी छोरी ने वापिस मारे घरे मंगाओं।

दारोगा सहाब (एक गाली) .....जवान छोरी को घर पर अकेली क्यों रखता है तुम्हें किस पर शंका है कौन ले जा सकता है? फरियादी बोलता है कि दस वर्ष पहले छोरी तीन वर्ष की थी मेरी मां की मौत पर गंगाजल पर सादी की तभी पड़ौस गांव के छोरे के साथ शादी करदी अभी थोड़े दिन पहले उसका ससुर आया उसने छोरी को भेजने के लिए कहा परन्तु छोरी थोड़ा भौली है इसलिए मेने उसके घर भेजने से मना किया तथा छोरी की पसन्द दूसरे गांव के छोरे के साथ नाते भेजने की बात कही थी इसलिए शायद उसके गांव के लोग उठाकर ले गये होंगे।

दारोगा साहब एक उबासी लेकर पूछते हैं कहीं माल पानी भी लायो है के खाली हाथ ही आयो है। फरियादी व्यक्ति बोलता है साथ अबार तो मारे कने ए पानसो रिपिया है पर और री व्यवस्था करदूला यण मारी छोरी ने भावण री व्यवस्था तो करण री किरपा कराओ।

ऐसी घटनाओं के कारण :- हमारे सभ्य समाज में ऐसी घटनाएं गांवों में आज भी घटित हो रही हैं ऐसे में हम इनके कारणों की ओर दृष्टिपात करना चाहेंगे।

1. **बाल विवाह** :- आजादी के सातवें दशक तक भी हम ग्रामीण समाज को बालविवाह से मुक्त नहीं कर पाये हैं। ग्रामीण क्षेत्र में अक्ष्य तृतीया जिस दिन बिना मुहूर्त शादियां सम्पन्न होती हैं तथा परिवार में, कुटुम्ब और कबीलों में जितनी लड़कियां हैं सभी की शादी कर दी जाती है जो बच्चे गुडडा, गुड्डियों के साथ खेलने की उम्र में होते हैं उन की स्वयं की शादियां कर दी जाती हैं। जब बच्चे बड़े होते है तब उनका विद्रोही मन इन शादियों का विरोध करना शुरू करता है तब हमारे सामने यह समस्या पैदा होती है। ऐसे में हमारा प्रयास होना चाहिये कि हम सरकार द्वारा निर्धारित शादी की उम्र बालिग होने का ध्यान रखकर ही इस प्रकार के आयोजन करें क्योंकि ऐसी शादियों की समस्याओं को समाज को भोगना पड़ता है छोटी उम्र में शादी, बच्चे तथा मां दोनों के जीवन को संकट में डालता है। बच्चों की पसंद नापसंद भी बाद में बड़ा कारण बनता है।

2. **अनिवार्य शिक्षा** :- सरकार ने नया कानून बनाया है जिसमें शिक्षा का अधिकार की बात कही है हमारा यह प्रयास होना चाहिये कि हम सभी को जो 14 वर्ष के नहीं हुए हैं सभी को प्रेरित करें कि वे अध्ययन के लिए स्कूलों में प्रवेश लें तथा इस कानून के क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करें। एक बार जब बच्चा स्कूल जाना प्रारम्भ कर देगा तो वह इसमें आगे अग्रसर होता रहेगा। बच्चों के बीच स्कूल छोड़ने की भी एक समस्या है परन्तु हमें उन्हें ऐसा नहीं करने की लिए प्रेरित करना चाहिये जिसमें वे इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकेंगे।

3. **मृत्यु भोज पर रोक** :- सरकार ने कानून बनाकर मृत्यु भोजों पर प्रतिबन्ध लगा रखा है परन्तु यह कारगर नहीं है। कानून बनाने से इनको रोका नहीं जा सकता है। ऐसे में हमें जन जागरण चलाकर सभी को प्रेरित करना चाहिये कि मृत्यु भोज नहीं हो। समाज के लोग ऐसे कार्यों को करने हेतु प्रेरणा देते हैं कि इन्हें ऐसा करना होगा चाहे आर्थिक स्थिति उनकी ठीक है अथवा नहीं। ऐसे में उन्हें आर्थिक संकट से जूझना पड़ता है। इसलिए हमें उन्हें ऐसा न करने तथा ऐसे मौकों पर होने वाले विवाहों (सामूहिक) पर भी रोक लगाने का प्रयास करना चाहिये।

4. **खाप पंचायतों के फैसलों पर प्रतिबन्ध** :- आज

के आधुनिक युग में एक ओर हम प्रौद्योगिकीय युग में जी रहे हैं, वैज्ञानिक देश को आगे बढ़ाने में प्रयासरत हैं और दूसरी ओर जातियों की पंचायतें, खाप पंचायतें अपने पुरातनपंथी फैसलों को थोपने के प्रयास में लगी हुई है इससे हमारे समाज का नुकसान हो रहा है। इन पर हमें आम जन को प्रेरित कर उनके दकियानूसी फैसलों का विरोध करना चाहिये जिससे समाज में उनके वर्चस्व को तोड़ा जा सके।

5. **मानवाधिकारों की रक्षा** :- आज के आधुनिक युग में भी महिलाओं की स्थिति भेड़-बकरियों जैसी ही समझी जा रही है इसे किसके साथ रहना है और नहीं रहने का निर्णय आज भी उसका परिवार उसकी बिरादरी उसकी खाप करती है। इसका एक उदाहरण उत्तर प्रदेश में देखा गया जिसमें एक श्वसुर ने अपनी पुत्रवधु के साथ दुष्कर्म किया। खाप पंचायत ने उस महिला को अपने दुष्कर्मी श्वसुर के साथ ही रहने का फैसला सुना दिया। ऐसे में क्या वह महिला रोजाना दुष्कर्म ही सहती रहेगी। ऐसे में हमें समाज की आधी आबादी को भेड़ियों के सामने नोंचने-खरोंचने तथा खाने के लिए छोड़ देना चाहिये। हमें उनके अधिकारों के प्रति सजग होना होगा। हमें ऐसे तत्वों के विरूद्ध ठोस कार्यवाही करनी होगी।

पुलिस व्यवहार का मनोविज्ञान :- ऊपर मैंने यह उल्लेख किया कि रात को दारोगाजी झूमते हुए जीप से उतरे उसी में मैंने दारोगा जी की गालियों के प्रयोग तथा क्या लाये हो का उल्लेख किया है। मैं उसके संदर्भ में कुछ बातें प्रस्तुत करना चाहूंगा।

1. **अत्यधिक काम का दबाव** :- पुलिस प्रशासन विशेषतः थानों में नियुक्त कर्मचारियों पर अत्यधिक काम का दबाव रहता है। कर्मचारियों की संख्या, थानों की संख्या, जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में नहीं बढ़ी है। ऐसे में इन कर्मचारियों की वी.आई.पी. डयूटी, अनुसंधान, पेशी, न्यायालय में गवाहों की सूचित करना, धरना, घेराव, प्रदर्शन, जुलूस, चोरी, अपराध, बाढ़, दुर्घटना, कोई भी प्राकृतिक अथावा अप्राकृतिक सभी घटनाओं में उन्हें उपस्थित रहना पड़ता है। ऐसे मैं चौबीस घण्टों में तकरीबन 18-20 घण्टे डयूटी पर रहना पड़ता है। ऐसे में यदि पुलिस स्टाफ रात को दस बजे शराब की महक के साथ मिलता है तो क्या अपराध कर रहा है? यह अत्यधिक काम का दबाव उनके व्यवहार को रूखा, चिड़चिड़ा एवं गुस्सेल बना देता है।

2. **राजनीतिक हस्तक्षेप** :- पुलिस प्रशासन का सम्बन्ध अपराध रोकने, कानून और व्यवस्था रखने, चोरी होने पर उन्हें पकड़ने शीघ्र अनुसंधान, चोरों का छुड़ाने, उनके साथ शक्ति न बरतने, उनके स्थानान्तरण सभी की आकांक्षा मंडराती है। इन सभी के बीच तालमेल बिठाकर कर्मचारियों को अपने कार्यों का निष्पादन करना पड़ता है। राजनीति में माफियाकरण होने से पार्षदों से लेकर मंत्रियों तक का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है। इसका प्रभाव इनके कार्यों को बहुत प्रभावित करता है। उदयपुर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के एक नेता द्वारा थप्पड़ मारने तथा उस अधिकारी द्वारा उन नेताजी की पिटाई तक जगजाहिर हो चुकी है।

3. **मानवाधिकारों का प्रश्न** :- पुलिस प्रशासन चोरों, गुंडा तत्वों, डकैतों के साथ मामले सुलझाने में दिक्कतों का सामना कर रही है। पेशी के दौरान हथकड़ी नहीं डालने, उनके साथ सख्ती से पेश नहीं आने के मामले हमारे सामने आ रहे हैं। प्रश्न यह है कि मानवाधिकारी के परोदा समाज विरोधी तत्वों के मानवाधिकारों की वकालत तो करते हैं परन्तु आम जनता जिन्हें उनकी वजह से परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं उनके अधिकारों की रक्षा की बात नहीं करते हैं व अपराधी तत्व पुलिस के कर्मचारियों पर फायरिंग तक कर सकते हैं। यह दोहरा चरित्र मानवाधिकारों के समर्थकों का हमारे सामने आ रहा है।

4. **पुलिस के बड़े अधिकारियों का कर्मचारियों के प्रति व्यवहार** :- पुलिस महकमे में साधारणतः अधिकारियों

का व्यवहार अपने छोटे पुलिस कर्मचारियों के प्रति ब्रिटिश मानसिकता से प्रभावित दिखाई पड़ता है। वे उन्हें सरकारी कर्मचारी की तरह नहीं अपितु व्यक्तिगत नौकर समझ कर व्यवहार करते हैं। साधारणतः वे गाली निकालकर ही काम हुआ या नहीं की बात करते हैं। बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारियों के साथ तथा छोटे अधिकारी अपने अधीन मातहतों के साथ इसी पुलिसिया भाषा का इस्तेमाल करते हैं तथा वे जवाब में सर, जीहुकुम, हुजूर, जेहिन्द सर का प्रयोग करते हैं। अपने साथ हुए बर्ताव के कारण वे आमजन के प्रति वैसी ही मानसिकता से प्रभावित होकर गाली गलोच तथा अभ्रद भाषा का प्रयोग करते हैं। ऐसे में आम नागरिक उनसे दूर रहने में ही अपनी भलाई समझता है। पुलिस विभाग की मानसिकता का दिग्दर्शन होता है।

5. अवकाश का समय :- साधारणतः सरकारी कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश तथा अन्य सरकारी अवकाश प्राप्त होते हैं। वे अपने कार्य दिवस में निर्धारित समय पर उपस्थित होकर समय पर घर पहुंचते हैं परन्तु पुलिस महकमे में ऐसा सम्भव नहीं है। समय पर अवकाश प्राप्त नहीं होता है। आपके घरों में आयोजित उत्सवों में वे शरीक नहीं हो पाते हैं। अपने बच्चों व परिवार के अन्य सदस्यों को समय नहीं दे पाते हैं। ऐसे में मानसिक अवसाद से उन्हें गुजरना पड़ता है। इसका प्रभाव उनकी कार्यप्रणाली तथा व्यवहार पर पड़ता है। वे हर समय गुस्से के शिकार बने रहते हैं तथा आमजन के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पाते हैं।

6. कम वेतन तथा अन्य सुविधाओं का अभाव :- पुलिस विभाग में थानेदार तक के अधिकारियों का वेतन काफी कम होता है। ऐसी स्थिति से निपटने का उनके पास एक ही साधन रिश्वत बच पाता है जिससे इस विभाग की बहुत बदनामी हो रही है। थानों में स्थित स्टाफ के लिए अच्छे आवासों की व्यवस्था नहीं है। स्टाफ अपने परिवार को साथ नहीं रख पाता है। पीने के पानी तथा अन्य सुविधाओं का अभाव रहता है। थाने के कर्मचारियों के लिए एक खटारा जीप उपलब्ध रहती-है जो खराब स्थिति में होती है। जीप में डालने के लिए डीजल भी निश्चित मात्रा में प्राप्त होता है। ऐसे में अपराधों की मोनिटरिंग कैसे हो पायेगी? अपराधी अपने पास अच्छी गाड़ियों तथा ऐ.के. 47 से लेस होते हैं तथा हमारी पुलिस महकमा थ्री नाट थ्री की बन्दूकों से लैस है जो समय पर साथ नहीं देती है। ऐसे में हम उनसे अपराधियों को पकड़ने, न्यायालय ले जाने तथा जेल पहुंचाने की अपेक्षा कर रहे हैं जो मुश्किल जान पड़ता है।

7. जनता की गलत अपेक्षाएं :- कई बार आम नागरिक पुलिस प्रशासन से गलत अपेक्षाएं रखते हैं जैसे किसी अपराधी को गिरफ्तार किया जाता है पुलिस कुछ धाराओं में थाने में ही जमानत लेकर रिहा कर देती है परन्तु कुछ धाराएं ऐसी होती हैं जिसमें न्यायालय में प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। ऐसे में छुड़ाने के लिए रिश्वत की बात करना, रात को थाने में ठीक से रखने के लिए रिश्वत देने, पिटाई न करने के लिए रिश्वत, अपराध की धाराओं में हेरफेर के लिए रिश्वत की बात करते हैं, कुछ अपराधियों को शीघ्र पकड़ने की बात करते हैं तथा उसके लिए रिश्वत की पेशकश करते हैं कुछ आरोपियों को पकड़ने की बात करते हैं। अधिकारी वर्ग राजनीतिक दबाव में आकर कार्य करते हैं। इन सभी परिस्थितियों के बीच पुलिस प्रशासन को अपने कार्यो का निष्पादन करना पड़ता है। एक तरफ कर्तव्य का निष्पादन करना तथा दूसरी ओर कार्यों में हस्तक्षेप उन्हें कई बार पेडूलम बना देता है।

निष्कर्ष :-

भारत को आजाद हुए करीब 70 वर्ष होने जा रहे हैं। हमें गुलामी की मानसिकता को त्यागना है। अगर हम एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था में रह रहे हैं तो अधिकारियों को

कर्मचारियों के साथ तथा उन्हें आम नागरिकों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिये क्योंकि हम सभी सभ्य समाज के नागरिक हैं। पुलिस प्रशासन में राजनैतिक दखलंदाजी को रोकना होगा। वे स्वतंत्र रहकर अपने स्व विवेक से न्यायोचित कार्य करने के लिए स्वतंत्र होने चाहिये। उन्हें विधि के शासन के अनुरूप अपने कार्यों को करने तथा अवैधानिक कार्य करने पर दण्डित करने के अच्छे प्रावधान रखने चाहिये।

पुलिस कर्मचारियों की ट्रेनिंग पर हमें ध्यान देना होगा जिससे वे अपने व्यवहार को नियंत्रित रखें। इन कर्मचारियों को हमें प्रेरित करना होगा कि अपराधों की जांच करने में डंडे और थर्ड डिग्री प्रयोग से ही अपराधियों से सच नहीं उगलवाया जा सकता। उसके लिए वैज्ञानिक प्रविधियों के प्रयोग और हमें मनोवैज्ञानिक आधारों पर निष्कर्षों तक पहुंचने में मददगार होने तथा इन्हीं का प्रयोग किया जाना चाहिये।

हमें नागरिकों को नैतिक शिक्षा के ज्ञान प्रदान करने का प्रयास करना चाहिये जिससे हम चारित्रिक रूप से दृढ़ हो सकें इससे धीरे-धीरे अपराधों में कमी आएगी। हमें लोगों को बुनियादी शिक्षा प्रदान करनी चाहिये जिससे शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात सभी को रोजगार उपलब्ध हो सके। इससे अपराधों में कमी आयेगी।

पुलिस व्यवस्था में सुधारों के प्रयास किये जाने चाहिये। पुलिस को आम लोग अपना सहयोगी समझेंगे तब वे अपराधों के घटित होने पर उनकी जानकारी उन्हें देने का प्रयास करेंगे जिससे आम जनता के सहयोग से अपराधों पर अंकुश लग सकं। पुलिस प्रशासन को सुविधाएं प्रदान की जाएं। उनके कार्य करने के समय को निश्चित किया जाए, छुट्टियों का निर्धारण किया जाए। पुलिस दल की संख्या में वृद्धि की जाए, उन्हें आधुनिक हथियार उपलब्ध करवाये जाएं।

पुलिस प्रशासन में तबादलों को व्यवसाय के रूप में नहीं लिया जाना चाहिये। तबादलों के लिए एक निश्चित नीति बनाई जाये। कार्यकाल निश्चित किया जाना चाहिये जिससे वे अधिकारी, कर्मचारी अपने कार्यों को पूरा करने तथा अपने दायित्वों को निर्वाहन करने में किसी तरह का दबाव महसूस नहीं कर सके। इसी के साथ पुलिस प्रशासन को मानवाधिकारों का ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिये जिससे नागरिकों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तथा पुलिस पर होने वाले हमलों से उन्हें बचाया जा सकेगा। पुलिस प्रशासन की मानसिकता में परिवर्तन की आवश्यकता है। वे अपने आप को सुधारक और कानून का रखवाला न समझे, उन्हें प्रत्येक नागरिक को अपराधी नहीं समझना चाहिये, पुलिस प्रशासन भी अपने आप को दृहद समाज का भाग समझकर अपनी जिम्मेदारियों को सामाजिक सरोकारों के रूप में ले जिससे अपराधों में कमी आयेगी तथा भ्रष्टाचार की गंगोत्री मैली होने से बचेगी।

संदर्भ सूची :-

1. मानवीय मूल्य, कर्तव्य एवं अधिकार - न्यायमूर्ति एन. के. जैन
2. मानव अधिकार एवं कर्तव्य - आर. पी. जोशी
3. मानवाधिकार - दिलीप जाखड़
4. भारत में मानवाधिकार - जी. एस. बाजवा
5. तीसरी दुनिया के देश और मानवाधिकार - जेड. ए. निजामी देविका पॉल
6. मानवाधिकार और पुलिस बल - भूषण लाल बोहरा
7. कानून, न्याय और सामाजिक परिवर्तन - डी. आर. सक्सेना
8. सामाजिक समस्याएं - राम आहुजा
9. राजस्थान पत्रिका, नवभारत टाइम्स, इंडिया टुडे, आउटलुक भास्कर, जनसत्ता, हिन्दुस्तान टाइम्स